न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 258 / 2021

प्रार्थीनी :–

1. भगवती पत्नी जोगाराम जाति भील, निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण 1 श्री करणसिंह सोंलकी प्रार्थीनी वकील

2 पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

आदेश दिनांक :–26.11.2021

प्रार्थीनी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या –3225 / 162 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 1104 / 157 मौजा मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व / 2020 / 667 दिनांक 01.11..2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि सरहद मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या –1104 / 157 की भूमि तक आ[illegible]रने हेतु प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार [illegible] खसरा रास्ता तक है। रास्ते की कुल लम्बाई व 30 फीट चौडाई के आधा[illegible] 16 बिस्वा 07 बिस्वांशी होती है। ग्राम मण्डापुरा की कटान रास्ते से [illegible]ी भूमि की डी0एल0सी0 दर 166680/ रूपये प्रति बीघा है जो नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित अनुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:20:11 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

प्रार्थीनी वकील की एक पक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या –3225/162 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 1104/157 मौजा मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता मानचित्र पुश्त पर अंकित अनुसार दर्शाये गये हिस्से ए से बी अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थीनी के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या –3225/162 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 1104/157 मौजा मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता के अनुसार है जो प्रार्थीनी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीनी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा मण्डापुरा के खसरा संख्या –3225/162 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 1104/157 मौजा मण्डापुरा में से 30 फीट चौडा रास्ता हेतु 16 विस्वा 07 विस्वासी भूमि की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 166680/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित 16 विस्वा 07 विस्वासी भूमि की राशि 136261 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 272530/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 11.11.2021 में चिन्हित किया गया नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

उप खण्ड अधिकारी बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:20:11 IST
Reason: SelfAttested

(... सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा